

प्रेषक,

अशोक कुमार,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०  
इलाहाबाद।

उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ  
संख्या 147 /रा०उ०शि०प०/20  
दिनांक 24/6/14

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 18 जून, 2014

विषय: सहायता प्राप्त अशासकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: डिग्री अर्थ-1/873/2014-15, दिनांक 16-6-2014 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-1864/सत्तर-2-2013-16 (246)/2010, दिनांक 25 नवम्बर, 2013 के प्रस्तर-3(3) में आंशिक संशोधन करते हुए जिन विश्वविद्यालयों में अनुमोदन समिति के गठन में कठिनाई आ रही है उन विश्वविद्यालयों में निम्नानुसार समिति गठित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- |     |               |   |
|-----|---------------|---|
| (क) | अध्यक्ष-      | संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति।        |
| (ख) | सदस्य संयोजक- | विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम डीन।          |
| (ग) | सदस्य-        | विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम विभागाध्यक्ष। |

कृपया उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अशोक कुमार  
विशेष सचिव।

संख्या- 384 (1)/सत्तर-2-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- (2) कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- (3) महालेखा-1, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- (4) समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उ०प्र०।
- (5) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
- (6) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र०।
- (7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (सामान्य) अनुभाग-1
- (8) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
- (9) अवर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिराभवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

( सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर )  
अनु सचिव।

24/6/14